कार्यालय
मुख्य छात्रावास अधीक्षक
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

क. 153 /स्वा.वि.बा.छा./ 2020, बिलासपुर, दिनांक– 13/03/2020

प्रति,

समस्त प्रशासनिक अधीक्षक
विश्वविद्यालयीन छात्रावास
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ0ग0)

संदर्भ – विद्या परिषद की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 13/03/2020

उपरोक्त संदर्भान्तर्गत सूचित किया जाता है कि वि0वि0 के समस्त छात्रावास दिनांक 31/.3/2020 तक बंद रहेंगे। अतः समस्त छात्रावासों में निवासरत समस्त छात्रों/छात्राओं को आदेशित किया जाता है कि वे यथाशीघ्र (दिनांक 14/03/2020 सायं 6.00 बजे तक) अनिवार्य रूप से छात्रावासों को खाली कर दें।

इस संबंध में अन्य सूचनाये निम्नानुसार है –

01. छात्रावासों मे निवासरत छात्र–छात्रायें अपने कमरें में अपनी मूल्यवान वस्तुऍ यथा मोबाइल, लैपटाप, नकदी, आवश्यक दस्तावेज, इलेक्ट्रिानिक गजेट आदि न छोड़ें, उन्हें अपने साथ ले जावें।
02. छात्र/छात्राएं छात्रावास छोड़ने से पहले अपने कमरे के विघुत उपकरणों को बंद करना एवं कमरे में सावधानीपूर्वक ताला लगाना सुनिश्चित करें।
03. छात्रावास छोड़ने से पूर्व संबंधित छात्रावास के प्रशासनिक अधीक्षक/अधीक्षक/कार्यालय सहायक को लीविंग फार्म जमाकर आवश्यक रूप से सूचना दें।
04. छात्रावास में संचालित मेस दिनांक 15/3/2020 से 31/3/2020 तक बंद रहेगी, तथा माह मार्च 2020 का मेस चार्ज 14 दिवस का लिया जावेगा।
05. छात्रावासों में निवासरत छात्रों एवं छात्राओं को बस स्टैण्ड अथवा रेल्वे स्टेशन छोड़ने के लिये विश्वविद्यालयीन बस की सेवा नियमित रूप से 15/03/2020 शाम 6.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
06. समस्त छात्र–छात्राओं को सलाह दी जाती है कि कोरोना वायरस Covid-19 के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार/यू0जी0सी0/विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई सलाह/मार्गदर्शिकाए/रोकथाम के उपायों आदि का गंभीरतापूर्वक पालन करें

13/03/2020

पृष्ठ 2 पर निरंतर

Scanned by CamScanner

कार्यालय
मुख्य छात्रावास अधीक्षक
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

---

07. समस्त छात्र–छात्राओं को सलाह दी जाती है कि समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी अन्य सूचनाओं/आदेशों/सलाहों का अवलोकन करते रहें। उक्त सूचनाऍं/आदेश/सलाहें विश्वविद्यालय की अधिकृत वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेंगी। अतः समय–समय पर इनका अवलोकन करते रहें।

08. निवासरत छात्र–छात्राओं के लिये रेल्वे रियायत फार्म नियमानुसार अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

09. इस संबंध में दिनांक 31/03/2020 के बाद की स्थिति के संबंध में एवं अन्य निर्देशों के संबंध में निवासरत छात्रों–छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित छात्रावासों के प्रशासनिक अधीक्षक/अधीक्षकों/विभागाध्यक्षों से सतत संपर्क में रहें, ताकि अघतन जानकारी प्राप्त कर सकें।

13/03/2020

मुख्य छात्रावास अधीक्षक
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ0ग0)

पृ0क0 154/ स्वा.वि.बा.छा./ 2020, बिलासपुर, दिनांक– 13/03/2020

प्रतिलिपि–

01. कुलपति के सचिव की ओर, माननीया कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर, कुलसचिव के सूचनार्थ।
03. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
04. कुलानुशासक की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
05. वित्ताधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
06. समस्त विभागाध्यक्षों, शिक्षण विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
07. मेसर्स ए.के.इन्फ्राडील प्रा.लि. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
08. समस्त प्रशासनिक अधीक्षकों की ओर इस आशय के साथ कि वे अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षकों एवं कर्मचारियों को सूचित कर उक्ताशय का पालन सुनिश्चित करावें।

13/03/2020

मुख्य छात्रावास अधीक्षक

Scanned by CamScanner